भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2223

(दिनांक 11.12.2015 को उत्तर देने के लिए)

प्रसार भारती की समीक्षा

2223. श्री आर.पी. मरुदराजा:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्रीमती रीती पाठक:
श्री बी. श्रीरामुलु:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती (पीबी) के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे और इसके कार्यकरण में किन कमियों का पता लगा है;

(ख) क्या पीबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों को निपटा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पीबी में अनेक पद खाली पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं और अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने अधिकारियों की भर्ती सहित पीबी स्कंध में पेशेवरों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पीबी की उत्पादन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ड.) पीबी को पुनर्जीवित करने तथा कर्मचारियों की भर्ती सहित पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

(कर्नल राज्यवर्धन राठौर) (सेवानिवृत्त)

(क): प्रसार भारती के कार्यकरण की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर निष्पादित किया जाता है। समीक्षा करने के उपरांत बनी सर्वसम्मति के अनुसार प्रसार भारती को उपयुक्त सुझाव दिए जाते हैं।

(ख): दिनांक 08.03.2012 से प्रभावी प्रसार भारती (संशोधन) अधिनियम, 2011 का प्रवर्तन होने के साथ ही आकाशवाणी (एआइआर) और दूरदर्शन (डीडी) के दिनांक 05.10.2007 तक भर्ती किए गए और उनके संवर्गों में शामिल किए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रसार भारती में समवत प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। दिनांक 05.10.2007 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारी प्रसार भारती के कर्मचारी होंगे।

(ग) एवं (घ): यद्यपि प्रसार भारती में रिक्तियां हैं जिनसे उनकी निर्माण संबंधी क्षमता भी प्रभावित होती है, तथापि, प्रसारण प्रौद्योगिकियों में हो रहे परिवर्तनों के मद्देनज़र प्रसार भारती में स्टाफ की वास्तविक आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। प्रसार भारती को वास्तव में भरे जाने के लिए आवश्यक पदों को अभिज्ञात करने हेतु जनशक्ति लेखा-परीक्षा कराने की सलाह दी गई है। तथापि, प्रसार भारती द्वारा स्थानांतरण/दौरे पर स्टाफ की पुन: तैनाती करके इष्टतम स्तर तक क्षमता का उपयोग करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ङ.): प्रसार भारती की स्थापना प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अंतर्गत दिनांक 23.11.1997 को एक स्वायत्तशासी निगम के रूप में की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसार भारती को पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है। प्रसार भारती का सामान्य अधीक्षण, निदेशन व प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड में निहित है जो निगम की ओर से उक्त अधिनियम में यथा प्रतिपादित सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और सारे काम-काज करता है।

***